प्रेस नोट *31/05/2025*

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 02 वर्ष के साधारण कारावास व ₹11000 तथा 06 माह का साधारण कारावास व ₹1000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 31-05-2025 को मु0अ0सं0 97/2022 धारा 171F/506/189/153A/120B भादवि थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्तगण अब्बास अंसारी पुत्र मुख्तार अंसारी निवासी युसूफपुरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को कारित अपराध के लिए 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹11000 जुर्माने तथा अभियुक्त मंसूर अहमद पुत्र खुशेदुलहक़ निवासी युसूफपुरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को कारित अपराध के लिए 06 माह के साधारण कारावास की सजा एवं ₹1000 के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह व 01 माह दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार थाना कोतवाली नगर का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दहेज हत्या मामले में दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के साधारण कारावास व प्रत्येक को ₹1002000 (दस लाख दो हजार) रुपये के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय JM/FTC कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 31-05-2025 को मु0अ0सं0 8/2015 धारा 498A/323/506 भादवी व 3/4 डीपी एक्ट महिला थाना में दोषसिद्ध अभियुक्तगण पवन चौबे पुत्र रामाश्रय चौबे, रामाश्रय चौबे पुत्र रमाशंकर चौबे निवासीगण कुर्तीजाफरपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 02-02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं प्रत्येक को ₹1002000 (दस लाख दो हजार) रुपये जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री अभिनव शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार महिला आरक्षी श्रेया सिंह महिला थाना का सराहनीय योगदान रहा।

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गिरफ्तार 02 नफर अन्तर्जनपदीय मोटरसाइकिल चोर (गैगेस्टर) जिनके कब्जे से 04 अदद मोटरसाइकिल व 04 अदद मोटरसाइकिलो की चेचिस व 07 मोटरसाइकिल के कवर व अन्य पार्ट्स/पुर्जे चोरी के बरामद–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री** के कुशल पर्यवेक्षण व **क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मऊ रेलवे स्टेशन के पार्किग स्टैण्ड थाना कोतवाली नगर मऊ से 02 नफर मोटरसाइकिल चोर अभियुक्तगण चन्दन कुमार पुत्र मुकेश हरिजन निवासी धौरहरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र करीब 26 वर्ष, विकास सोनी पुत्र मुन्ना सोनी निवासी बेलईसा सब्जी मण्डी थाना रानीसराय जनपद आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष को 04 अदद मोटरसाइकिल व 04 अदद मोटरसाइकिलो की चेचिस व 07 अदद मोटरसाइकिल के कवर व भारी मात्रा में पार्ट्स/पुर्जे चोरी के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगणो को रेलवे स्टेशन मऊ के पार्किग परीसर से एक मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़ा गया बाद पूछताछ मे अभियुक्तगणो के निशादेही पर इनके किराये के मकान से अन्य मोटरसाइकिले व भारी मात्रा में मोटरसाइकिल के पार्ट्स/पुर्जे चोरी के बरामद किया गया । उक्त अभियुक्तगणो के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर मऊ में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका - उक्त अभियुक्तगण एक शातीर किस्म के आपराधी है जो न्यायालय परिसर कचहरी में अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी कर आम नागरिको के मोटरसाइकिलो को चोरी कर ले जाना तथा बाद में आकर अपनी मोटरसाइकिल को ले जाना जिससे कोई इनके ऊपर शक न कर पाये तथ पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए ये लोग किराये के मकान से एक संगठीत गिरोह बनाकर चोरी की मोटरसाइकिलो को आस पास के जनपदो में ग्राहक सेट कर बेचते है तथा पुरानी हो चुकी मोटरसाइकिलो के पार्टस को अलग अलग निकालकर कबाड़ी को बेच देते है।

अभियुक्त चन्दन कुमार पुत्र मुकेश हरिजन निवासी धौरहरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के विरूद्ध विभिन्न थानों पर कुल 12 अभियोग पंजीकृत है। तथा अभियुक्त विकास सोनी पुत्र मुन्ना सोनी निवासी बेलईसा सब्जी मण्डी थाना रानीसराय जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर कुल 03 अभियोग पंजीकृत है।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु.अ.सं. 163/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 3(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ।

2. मु.अ.सं. 169/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 3(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
3. मु.अ.सं. 77/25 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 3(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. चन्दन कुमार पुत्र मुकेश हरिजन निवासी धौरहरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र करीब 26 वर्ष

2. विकास सोनी पुत्र मुन्ना सोनी निवासी बेलईसा सब्जी मण्डी थाना रानीसराय जनपद आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी –

1. 04 अदद मोटरसाइकिल व 04 अदद मोटरसाइकिलो की चेचिस व 07 मोटरसाइकिल के कवर व अन्य पार्ट्स/पुर्जे चोरी ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 अनिल द्विवेदी, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उ0नि0 अम्बरीश कुमार पाण्डेय, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. उ0नि0 प्रदीप कुमार, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. हे0का0 दीनानाथ, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. हे0का0 शिव शंकर, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
7. का0 विनय कुमार, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

धार्मिक टिप्पणी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 31.05.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला अभियुक्त विनीत कुमार पुत्र रामसकल निवासी तेन्दुली थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 170 बीएनएस में चालान न्यायालय किया गया।